कार्यालय–प्रधानाचार्य, माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,मीरजापुर।

पत्रांक : मे0का0मीरजापुर/चयन/2022–23/ 382 दिनांक– 10.08.2022

सूचना

माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर में विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सेवायोजन विज्ञप्ति

एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों की पूर्ति हेतु माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर में रिक्त आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा **वॉक–इन इन्टरव्यू** के माध्यम से किया जायेगा। **साक्षात्कार दिनांक–24 अगस्त 2022 से दिनांक–21 सितम्बर 2022 तक प्रत्येक बुधवार** को प्रधानाचार्य कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे आयोजित किया जायेगा। इच्छूक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि साक्षात्कार हेतु अपने समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, शोध प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आरक्षण प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के एक सेट एवं उपरोक्त लिखित मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हों। दिनांक 24 अगस्त 2022 को साक्षात्कार के उपरान्त चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों को पुनः भरने के लिए वॉक–इन इन्टरव्यू की विज्ञप्ति प्रत्येक वृहस्पतिवार को माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर की वेबसाइट **https://mvasmc.edu.in** पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

क्रमांक	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य
		पदों की संख्या/श्रेणी	पदों की संख्या/श्रेणी	पदों की संख्या/श्रेणी
1	आब्स एण्ड गायनी	01 SC	01 UR	-
2	इमरजेंसी मेडिसिन	-	01 OBC	01 UR
3	एनाटामी	-	01 UR	-
4	एनेस्थिसिया	-	01 SC 01 UR	-
5	जनरल मेडिसिन	01 OBC	01 OBC 01 UR	01 SC 01 UR
6	जनरल सर्जरी	01 UR	01 OBC	01 SC
7	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	-	01 SC	-
8	पिडियाट्रिक्स	-	01 OBC	-
9	पैथोलाजी	-	01 UR	-
10	फार्माकोलॉजी	-	01 SC	-
11	फिजियोलॉजी	01 SC	-	01 OBC
12	फारेंसिक मेडिसिन	-	-	01 SC
13	बायोकेमेस्ट्री	-	01 OBC	-
14	रेडियोडायग्नोसिस	-	01 OBC	01 SC
15	साइकेट्रिक	-	01 EWS	-
	योग	04	15	07

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत है :–

संविदा पर तैनात होने वाले अभ्यर्थी की संविदा अवधि 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक ही मान्य होगी। नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल को पुनः बढ़ाया जा सकता है। नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी को भी अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।

1. शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71–1–18–जी–63/2018, दिनांक 21.11.2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक को नियत वेतन देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न–भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
2. इस हेतु आवेदक को Medical Council of India or National Medical Commission, Minimum Qualification for Medical Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 द्वारा निर्धारित समय–समय पर जारी संशोधन/नोटिफिकेशन के अनुसार अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
3. साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. चिकित्सा शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं करेंगे। कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा। प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को प्राइवेट प्रेक्टिस का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
5. आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या–50/2019/4/1/2002 का–2/2019 टी0सी0–1, दिनांक 13.08.2019 का अनुपालन मान्य होगा। यदि किसी विशिष्टता में कैटगरी का अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त पद का अन्य कैटेगरी के उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी के द्वारा भरा जायेगा।
6. शासनादेश संख्या–562/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य–60 वर्ष, सह आचार्य–64 वर्ष एवं आचार्य–68 वर्ष होगी।
7. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
8. संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
9. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है। यदि उनके विरूद्ध प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
10. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

प्रधानाचार्य
माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा
महाविद्यालय, मीरजापुर।

पृष्ठांकन : मे0का0मीरजापुर/चयन/2022–23/ तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छठवाँ तल, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति हो महानिदेशक की वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4. वित्त नियंत्रक, माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर।
5. प्रमुख अधीक्षक, माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को अपने चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
6. सूचना पट्ट माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर।

प्रधानाचार्य
माँ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा
महाविद्यालय, मीरजापुर।